122

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 रिवीजन

PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा/2017/2181

श्री ______ द्वारा आज दि 12-7-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

गिरधारी लाल पाटीदार पुत्र भवर जी पाटीदार, निवासी– ई–8/167, भरत नगर, श्याहपुरा, भोपाल एवं कास्तकार ग्राम मुंगलिया छाप, तहसील हुजूर जिला भोपाल, मप्र

..........आवेदक

विरुद्ध

1. तेज सिंह पुत्री स्व. श्री अमर सिंह, निवासी– ग्राम मुंगलिया छाप, तहसील हुजूर जिला भोपाल, मप्र
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

.........अनावेदकगण

<u>रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 29.05.2017 श्रीमान तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 245/बी–121/2015–16 में पारित।</u>

गिरधारी लाल / तेजसिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग./भोपाल/भू.रा./2017/2181 **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.8.2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य सत्रहवें व्यवहार न्यायालय वर्ग–1 के समक्ष प्रकरण प्रचलित है और यदि तहसीलदार द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है और व्यवहार न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय से भिन्न आदेश पारित किया जाता है तो विषम परिस्थिति बनेगी । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को व्यवहार न्यायालय से अंतिम निराकरण होने तक यथा स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश देने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है। तहसीलदार द्वारा यह भी आदेशित किया गया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के अध्यधीन उनका आदेश रहेगा जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायियक कार्यवाही है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	